सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 11, बुधवार, *शाके* 1944-नवम्बर 02, 2022 *Kartika 11, Wednesday , Saka 1944- November 02, 2022*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2022

संख्या एफ 89 (46)उ.मा.वि./ भर्ती प्रकोष्ठ./2022 :-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35) की धारा-42 उपधारा-(3) के खण्ड (क) के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-06 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधिपति श्री देवेन्द्र कच्छावाहा (सेवानिवृत), राजस्थान उच्च न्यायालय को अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के रिक्त पद पर नियुक्त करती है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद के कार्यकाल, अन्य निबन्धन एवं शर्ते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 व राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी तथा वेतन भत्ते राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2021 के तहत देय होगें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

आशुतोष ए.टी. पेड़णेकर,
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।